



गोपनीय

भारतीय रिज़र्व बैंक  
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग  
(अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति प्रभाग)

गैर-वित्तीय निगमों, अन्य वित्तीय निगमों, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों के लिए समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण (सीपीआईएस)

फॉर्म भरने के लिए टिप्स: फॉर्म भरते समय फील्ड्स में नेविगेट करने के लिए [Tab] का प्रयोग करें अथवा [Enter] करें।

विवरणी भरने से पहले कृपया दिशा-निर्देशों/परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

[Click here to read](#)

### सिस्टम आवश्यकताएँ और तकनीकी निर्देश

1. कंपनी को नवीनतम सर्वेक्षण प्रश्नावली का उपयोग जो बिना किसी Macro के .xls प्रारूप में हो, करना चाहिए।
2. कंपनी को सर्वेक्षण प्रश्नावली को Excel 97-2003 वर्कबुक यानी केवल .xls प्रारूप में सेव करना चाहिए।
3. सर्वेक्षण प्रश्नावली को .xls प्रारूप में सेव करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
  - a. Office Button / File → Save As → Save As type पर जाएँ
  - b. "Excel 97-2003 Workbook" चुनें और सर्वे प्रश्नावली को .xls प्रारूप में सेव करें।
4. भरे हुए Excel आधारित सीपीआईएस एनएफ़सी प्रश्नावली को [cpisnfc@rbi.org.in](mailto:cpisnfc@rbi.org.in) पर ईमेल द्वारा प्रेषित करें सीपीआईएस एनएफ़सीसर्वेक्षण प्रश्नावली के साथ कोई अन्य संलग्नक अग्रेषित न करें।
5. भरे हुए Excel आधारित सीपीआईएस एनएफ़सी सर्वे प्रश्नावली को [cpisnfc@rbi.org.in](mailto:cpisnfc@rbi.org.in) पर भेजने के बाद, आपको एक पावती मिलेगी। सुनिश्चित करें कि आपको एक सफल प्रसंस्करण पावती प्राप्त हुई है। यदि सफल प्रसंस्करण पावती के बजाय पावती में कुछ त्रुटि का उल्लेख किया गया है, तो उल्लेखित त्रुटि को सुधार कर फॉर्म को फिर से जमा करें।

Go to **Next Page** >>

<< Go to **Previous Page**



Go to **Next Page** >>

भारतीय रिज़र्व बैंक  
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग  
(अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति प्रभाग)

गैर-वित्तीय निगमों, अन्य वित्तीय निगमों, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों के लिए समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण (सीपीआईएस)

**निर्देश**

रिज़र्व बैंक का **समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण** (सीपीआईएस) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है, जिसमें **भारतीय निवासी कंपनियों** से पिछले वित्तीय वर्ष (FY) के मार्च अंत और नवीनतम वित्त वर्ष के सितंबर अंत में **उनकी विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों** की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। इस जानकारी का उपयोग भारत के समन्वित संविभागीय निवेश (सीपीआईएस डेटा) के संकलन में किया जाता है।

Excel प्रारूप में भरे हुए रिटर्न ई-मेल: [cpisnfc@rbi.org.in](mailto:cpisnfc@rbi.org.in) पर प्रेषित किए जाने चाहिए।

**गोपनीयता खंड:** प्रदान की गई कंपनी-वार जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और रिज़र्व बैंक द्वारा केवल समेकित योग ही जारी किए जाएंगे।

**प्रश्नावली भरने के लिए सामान्य निर्देश:**

- 1) सभी जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च अंत और चालू वित्तीय वर्ष के सितंबर अंत की स्थिति से संबंधित होनी चाहिए।
- 2) रिटर्न के ब्लॉक 1 (विदेश में प्रत्यक्ष निवेश 10% से कम) और ब्लॉक 2 (विदेश में संविभागीय निवेश) में बाहरी संपत्ति पर देश-वार जानकारी को दिखाया जाना चाहिए।
- 3) **मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ बाजार मूल्य का संबंध निम्नांकित से होना चाहिए:**  
सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, संदर्भ अवधि की समाप्ति तिथि पर शेयर मूल्य का उपयोग करके इक्विटी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जबकि गैर-सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, बुक वैल्यू के स्वयं के फंड (ओएफबीवी) पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए।
- 4) ब्लॉक 2 में विदेशी परिसंपत्ति के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते समय, कृपया वित्तीय साधनों के संदर्भ में संपत्ति के विवरण के लिए उचित विकल्प का चयन करें उदाहरण: इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश, मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स (लघु अवधि निवेश), बांड और नोट्स (दीर्घकालिक निवेश)
- 5) भारतीय रुपये में रिपोर्ट की गई सभी राशि को निकटतम लाख में पूर्णांकित किया जाना चाहिए। रुपए के मूल्य की गणना पिछले वित्तीय वर्ष 31 मार्च और चालू वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर के विनिमय दरों के आधार पर की जा सकती है।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं :

ई-मेल : [cpis@rbi.org.in](mailto:cpis@rbi.org.in)

----- End of Annex - I -----

## फॉर्म भरते समय अवधारणाओं और परिभाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए

### उद्यमों का निवास

एक उद्यम को आर्थिक हित का केंद्र और देश (आर्थिक क्षेत्र) की एक निवासी इकाई कहा जाता है जब उद्यम वहां वस्तुओं और/या सेवाओं के उत्पादन की एक महत्वपूर्ण मात्रा में लगा हुआ है या जब यह वहाँ स्थित भूमि या भवनों का मालिक है। उद्यम को देश में कम से कम एक उत्पादन प्रतिष्ठान बनाए रखना चाहिए और प्रतिष्ठान को अनिश्चित काल तक या लंबे समय तक संचालित करने की योजना बनानी चाहिए।

### ए: प्रत्यक्ष निवेश:

प्रत्यक्ष निवेश अंतरराष्ट्रीय निवेश की एक श्रेणी है जिसमें एक अर्थव्यवस्था में एक निवासी इकाई [प्रत्यक्ष निवेशक (DI)] दूसरी अर्थव्यवस्था में एक उद्यम निवासी [प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (DIE)] में एक स्थायी हित प्राप्त करता है। इसमें दो घटक होते हैं।

#### (अ) भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में प्रत्यक्ष निवेश (10% से कम इक्विटी होल्डिंग)

यदि रिपोर्टिंग भारतीय कंपनी भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत विदेशी कंपनी के इक्विटी और भाग लेने वाले वरीयता शेयरों में निवेश करती है और इक्विटी के **10 प्रतिशत से कम** और विदेशी कंपनी की भाग लेने वाली वरीयता शेयरों की पूंजी रखती है, तो इसे **ब्लॉक 1** के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए -

### बी. संविभागीय निवेश:

#### (i) संविभागीय निवेश (ब्लॉक 2)

यह प्रत्यक्ष निवेश में शामिल लोगों के अलावा इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में भारतीय कंपनी की रिपोर्ट किए गए बाहरी दावों को कवर करता है। ऋण प्रतिभूतियों में लंबी अवधि के बांड और नोट और अल्पकालिक मुद्रा बाजार के साधन शामिल हैं।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्क्रीम के तहत किए गए निवेश के अलावा विदेशी शेयरों और/या ऋण प्रतिभूतियों में **भारतीय कंपनी द्वारा** किए गए किसी भी निवेश को ब्लॉक-2 (संविभागीय संपत्ति) के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

#### (ii) बांड और नोट्स

इस श्रेणी में एक वर्ष से अधिक (दीर्घावधि) की मूल संविदात्मक परिपक्वता वाली ऋण प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। इसमें लंबी अवधि की प्रतिभूतियाँ जैसे डिबेंचर, गैर-भाग लेने वाले वरीयता शेयर, परिवर्तनीय बांड, जमा के परक्राम्य प्रमाण पत्र, स्थायी बांड, संपाश्विक बंधक दायित्व, दोहरी मुद्रा, शून्य कूपन और अन्य डीप डिस्काउंटेड बांड, फ्लोटिंग रेट बांड और इंडेक्स-लिंक्ड बंधन आदि शामिल हैं।

#### (iii) मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स

एक वर्ष तक की मूल संविदात्मक परिपक्वता वाले इन अल्पकालिक उपकरणों में ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, बैंकर की स्वीकृति, जमा के अल्पकालिक परक्राम्य प्रमाण पत्र और नोट जारी करने की सुविधा के तहत जारी अल्पकालिक नोट शामिल हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे लिखत जो मुद्रा बाजार लिखतों की विशेषताओं को साझा करते हैं लेकिन एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं, उन्हें बांड और नोट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

[Go to Next Page >>](#)





46	Select	Select		
47	Select	Select		
48	Select	Select		
49	Select	Select		
50	Select	Select		

Select	Select	Select		
Select	Select	Select		
Select	Select	Select		
Select	Select	Select		
Select	Select	Select		

घोषणा	
पुष्टि के लिए सत्यापन बिंदु	चुनें (Yes/No)
दी गयी सभी जानकारी जैसे सीआईएन, पैन नंबर, ईमेल आदि उचित प्रारूप में हैं।	

\* मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस विवरणी में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण और सही है।

- i. पूरा नाम :
- ii. पदनाम :
- iii. ईमेल आईडी :
- iv. दिनांक (dd-mm-yyyy):


सर्वे फॉर्म पूरा हो गया है। अब आप ईमेल आईडी [cpisnfc@rbi.org.in](mailto:cpisnfc@rbi.org.in) पर ईमेल द्वारा फॉर्म जमा कर सकते हैं

[Go to Next Page >>](#)

<< Go to *Previous Page*

### संपर्क विवरण:

कृपया सर्वेक्षण प्रश्नावली पूरा करें और [cpisnfc@rbi.org.in](mailto:cpisnfc@rbi.org.in) पर मेल करें।

किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए , कृपया नीचे दिए गए विवरणों पर हमसे संपर्क करें:

ईमेल: [cpis@rbi.org.in](mailto:cpis@rbi.org.in)

टेलीफोन न.: 022-26578348/8293